IJAER/January-February 2019/Volume-7/Issue-4 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

हरियाणा में अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति

VARSHA

Research Scholar, Singhania University, Jhunjhunu, Rajasthan

Dr. Rajbir Singh

HOD Department of Political Science, G.G.D.S.D. College, Palwal Haryana

सारांश

भारत में असमानता स्वतंत्रता के बाद से ही विकास मंडलों में बहस का विषय रही है। भारतीय असमानता पर इस बहस को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इस पर आधारित है कि क्या यह ऊर्ध्वाधर असमानताओं पर केंद्रित है, जो कि आय या उपभोग व्यय के आधार पर वर्गों में असमानता है, या क्षैतिज असमानता पर है जो कि समूहों के बीच असमानता के अलावा और कुछ नहीं है। जाति, धर्म, लिंग, आदि के आधार पर समूहों के बीच। क्षैतिज असमानताओं के भीतर, मुख्य रूप से जाति समूहों यानी अनुसूचित समूहों और गैर–अनुसूचित समूहों के बीच असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ऐतिहासिक काल से ही गंभीर भेदभाव–अनुसूचित जातियों के मामले में सामाजिक बहिष्कार और अनुसूचित जनजातियों के मामले में शारीरिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। यह पत्र हरियाणा राज्य में अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों जैसे जनसंख्या आकार, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, बेरोजगारी दर, गरीबी और मनरेगा में भागीदारी से संबंधित है। यह अध्ययन पूर्णतया द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है।

मुख्य शब्द: असमानता, भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक बहिष्कार

परिचय

भारत में असमानता स्वतंत्रता के बाद से ही विकास मंडलों में बहस का विषय रही है। भारतीय असमानता पर इस बहस को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इस पर आधारित है कि क्या यह ष्ऊर्ध्वाधर असमानताओंष पर केंद्रित है, जो कि आय या उपभोग व्यय के आधार पर वर्गों में असमानता है, या क्षैतिज असमानता पर है जो कि समूहों के बीच असमानता के अलावा और कुछ नहीं है। जाति, धर्म, लिंग, आदि के आधार पर समूहों के बीच। क्षैतिज असमानताओं के भीतर, मुख्य रूप से जाति समूहों यानी अनुसूचित समूहों और गैर–अनुसूचित समूहों के बीच असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ऐतिहासिक काल से ही गंभीर भेदभाव–अनुसूचित जातियों के मामले में सामाजिक बहिष्कार और अनुसूचित जनजातियों के मामले में शारीरिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है।

उद्देश्यों

1. हरियाणा में अनुसूचित जातियों की जनसांख्यिकीय संरचना का अध्ययन करना।
2. हरियाणा में अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर, लिंगानुपात, गरीबी और बेरोजगारी का अध्ययन करना।
3. हरियाणा में मनरेगा में अनुसूचित जातियों की भागीदारी की जांच करना

अनुसंधान क्रियाविधि

इस अध्ययन का क्षेत्र हरियाणा राज्य तक सीमित है। भारतीय संघ में 29 राज्य हैं और हरियाणा उनमें से एक है। यह भारत के उत्तर में पड़ता है। इसके दक्षिण में राजस्थान, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब की राजधानी भी है। 1 नवंबर, 1966 को पुराने पंजाब राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। इसका गठन भारत के अन्य राज्यों की तर्ज पर एक भाषाई राज्य के रूप में किया गया था (रंगा, 1994)। हरियाणा की जनसंख्या 2,53,53,081 थी, इसमें से 51,13,615 (20.17 प्रतिशत) व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे। हरियाणा में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 2.5 प्रतिशत है। यह अनुसूचित जाति आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (भारत की जनगणना, 2011) द्वारा अधिसूचित 37 अनुसूचित जातियों द्वारा योगदान करती है।

डेटा विश्लेषण और परिणाम

विश्लेषण अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों जैसे जनसंख्या आकार, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, बेरोजगारी दर, गरीबी और हरियाणा राज्य में मनरेगा में भागीदारी से संबंधित है।

तालिका 1 से पता चलता है कि 1971 में अनुसूचित जाति की आबादी का हिस्सा 18.89 प्रतिशत था, जो 1991 में बढ़कर 19.75 प्रतिशत और हरियाणा में 2011 में बढ़कर 20.17 प्रतिशत हो गया। परिणाम स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि समय अवधि के दौरान हरियाणा में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की आबादी का अनुपात लगातार बढ़ा है। हरियाणा की लगभग पांचवीं आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की है, लेकिन इन हाशिए के लोगों का जीवन स्तर विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारणों के साथ–साथ राजनीतिक कारणों से निम्न है, जिन पर नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। तालिका 1 में विभिन्न सामाजिक समूहों की जनसंख्या के आकार से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। 1971–1981 के दशक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 30.0 प्रतिशत थी जो 1981–1991 में बढ़कर 32.0 प्रतिशत हो गई लेकिन 1991–2001 के दौरान यह दर तेजी से घटकर 25.8 प्रतिशत हो गई और 2001–2011 के दशक में यह 25.0 प्रतिशत थी। . इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में पिछले दो दशकों के दौरान विभिन्न कारणों जैसे उनकी साक्षरता दर में वृद्धि, परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता आदि के कारण तेजी से गिरावट आई है।

तालिका 1: हरियाणा में विभिन्न सामाजिक समूहों की जनसंख्या का आकार (1971–2011)

जनगणना वर्ष	संपूर्ण	गैर अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	दशकीय विकास दर
1971	10036808	8140881	1895927	18.89	
1981	12922618	10458606	2464012	19.06	30.0
1991	16463648	13212715	3250933	19.75	32.0
2001	21144564	17053454	4091110	19.35	25.8
2011	25351462	20237847	5113615	20.17	25.0

स्रोत: भारत की जनगणना, विभिन्न मुद्दे।

मानव आबादी की लिंग संरचना बुनियादी जनसांख्यिकीय विशेषताओं में से एक है, जो किसी भी सार्थक जनसांख्यिकीय विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिंग संरचना में परिवर्तन मुख्य रूप से विभिन्न तरीकों से समाज के अंतर्निहित सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक पैटर्न को दर्शाता है। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित लिंग अनुपात, एक निश्चित समय पर समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रचलित समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है (भारत की जनगणना, 2001)। हाल के दिनों में राज्य में महिलाओं की कम संख्या एक गंभीर मुद्दा बन गया है। यह हरियाणा राज्य की विशाल सामाजिक समस्याओं में से एक है।

तालिका 2 में 1971 से 2011 तक हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात पर प्रकाश डाला गया है। कुल मिलाकर लिंगानुपात 1971 में प्रति 1000 पुरुष पर 866 महिलाएं थीं जो 1981 में बढ़कर 870 हो गई लेकिन 1991 में 865 से घटकर 2001 में 861 हो गई।

तालिका 2: हरियाणा में लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात (1971–2011)

जनगणना वर्ष	लिंग अनुपात		बाल लिंग अनुपात	
	संपूर्ण	अनुसूचित जाति	संपूर्ण	अनुसूचित जाति
1971	866	870	N.A.	N.A.
1981	870	859	N.A.	N.A.
1991	865	860	879	917
2001	861	872	819	865
2011	879	887	834	876

स्रोतरू भारत की जनगणना, विभिन्न मुद्दे।

2011 की जनगणना के अनुसार, कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाओं को दर्ज किया गया है जबकि अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात 887 था। तालिका स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि 1981 और 1991 को छोड़कर, अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात समग्र रूप से थोड़ा अधिक था। हरियाणा राज्य में लिंगानुपात दूसरी ओर, हरियाणा के समग्र बाल लिंगानुपात की तुलना में अनुसूचित जातियों में बाल लिंगानुपात भी अधिक था। 1991 में, कुल बाल लिंगानुपात 879 था और यह घटकर 819 और आगे 2011 में बढ़कर 834 हो गया। जबकि अनुसूचित जातियों का बाल लिंगानुपात 1991 में 917 था और 2001 में यह घटकर 865 हो गया लेकिन 2011 में यह बढ़कर 876 हो गया। तालिका स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अनुसूचित जातियों का बाल लिंगानुपात हरियाणा के समग्र बाल लिंगानुपात से अधिक था। यह एक सामान्य तथ्य है कि अनुसूचित जातियों में कम साक्षरता होने के बावजूद अनुसूचित

जाति का लिंगानुपात हरियाणा के समग्र लिंगानुपात से थोड़ा बेहतर है क्योंकि इन परिवारों में बच्चों को आय का स्रोत माना जाता है। वे परिवार नियोजन कार्यक्रमों और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी कम जागरूक हैं। इसलिए, हरियाणा में समग्र लिंगानुपात की तुलना में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात अधिक है।

जनसंख्या का ग्रामीण–नगरीय वितरण तालिका 3 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि राज्य की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तालिका से पता चलता है कि 1971 में कुल जनसंख्या का 82.33 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा था जो 2011 मंर घटकर 65.12 प्रतिशत हो गया। शहरी जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 1971 से 2011 तक 17.25 थी। यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि अनुसूचित जातियां समाज के सबसे गरीब तबके से संबंधित हैं। वे कृषि गतिविधियों में शामिल होने के कारण मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। तालिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अनुसूचित जाति की अधिकांश आबादी, यानी कुल अनुसूचित जाति की आबादी का 86.40 प्रतिशत, 1971 में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही थी, जो 2011 में घटकर 72.80 प्रतिशत हो गई। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या के प्रतिशत हिस्से की तुलना में शहरी क्षेत्र विभिन्न कारणों से कम है जैसे साक्षरता दर का निम्न स्तर, उपयुक्त रोजगार के अवसरों की कमी, पारिवारिक बंधन आदि। तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति हरियाणा में कम शहरीकृत हैं।

तालिका 3: हरियाणा में जनसंख्या का ग्रामीण–शहरी वितरण (1971–2011)

जनगणना वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत		शहरी आबादी का प्रतिशत	
	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या
1971	82.33	86.40	17.67	13.59
1981	78.12	84.93	21.88	15.07
1991	75.35	82.29	24.63	17.71
2001	71.00	78.49	29.00	21.51
2011	65.12	72.80	34.9	27.20

स्रोतरू भारत की जनगणना, विभिन्न मुद्दे।

साक्षरता दर समग्र रूप से समाज के लिए और विशेष रूप से व्यक्तिगत समुदायों के लिए प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इस संदर्भ में यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में समग्र साक्षरता दर में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी, अनुसूचित जातियों और गैर–अनुसूचित जातियों के बीच, ग्रामीण और शहरी और पुरुष और महिला के बीच साक्षरता दर में अंतर बहुत अधिक है। उच्च। तालिका 4 हरियाणा में अनुसूचित जाति की आबादी के बीच साक्षरता दर प्रस्तुत करती है। अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर 1971 में 12.60 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 55.45 प्रतिशत और 2011 में बढ़कर 66.85 प्रतिशत हो गई। लेकिन फिर भी, अनुसूचित जाति की 33.15 प्रतिशत आबादी इस बुनियादी और आवश्यक आवश्यकता से वंचित है। पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में भी महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। अनुसूचित जातियों में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर 20.88 थी और 1971 में 3.09 प्रतिशत जो 2011 में बढ़कर क्रमशरू 75.92 और 56.64 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, समग्र साक्षरता दर 1971 में 26.89 प्रतिशत से बढ़कर हो गई

है 2011 में 75.55 प्रतिशत। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने में अनुसूचित जाति और अन्य, पुरुषों और महिलाओं के बीच एक बड़ा अंतर है। यह मुख्य रूप से निम्न स्तर के जीवन स्तर, अपर्याप्त आय और इन गरीब परिवारों के लिए शैक्षिक अवसरों की कमी के कारण है।

तालिका 4: हरियाणा में अनुसूचित जाति जनसंख्या में साक्षरता दर

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति		
	पुरुष	महिला	संपूर्ण	पुरुष	महिला	संपूर्ण
1971	37.29	14.89	26.89	20.88	03.09	12.60
1981	48.02	22.03	36.14	31.45	07.06	20.15
1991	69.10	40.47	55.85	52.06	24.15	39.22
2001	78.50	55.71	67.91	66.93	42.26	55.45
2011	84.05	65.94	75.55	75.92	56.64	66.85

Source: Census of India, Various Issues.

हरियाणा में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच वर्तमान दैनिक स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी दर तालिका 5 में प्रस्तुत की गई है। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में बेरोजगारी दर 7.7 प्रतिशत थी जो अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में अधिक थी। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अनुसूचित जातियां अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में अधिक बेरोजगार थीं।

तालिका 5: 2011–12 में हरियाणा में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बेरोजगारी दर (प्रतिशत में)

सामाजिक समूह	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			संपूर्ण		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
अनुसूचित जाति	8.4	6.5	8.0	5.7	10.7	6.3	7.8	7.0	7.7
अनुसूचित जनजाति	.	.	.	1.8	58.2	14.2	0.6	15.2	4.6
अन्य पिछड़ा वर्ग	5.8	12.4	6.5	2.4	9.5	3.2	5.0	11.7	5.7
आम	5.0	10.1	5.6	4.2	13.6	5.5	4.7	11.5	5.6
संपूर्ण	6.4	8.5	6.7	4.1	12.8	5.3	5.7	9.6	6.3

स्रोत: रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011–12 पर रिपोर्ट, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़

ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी स्थिति अधिक संवेदनशील थी क्योंकि बेरोजगारी दर 8.0 प्रतिशत थी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.3 प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके समकक्षों की तुलना में अनुसूचित जातियों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बेरोजगारी दर कम थी। हरियाणा में कुल बेरोजगारी दर 6.3 प्रतिशत थी जबकि अनुसूचित जाति के लिए यह 7.7 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों की बेरोजगारी दर अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में अधिक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी उच्च सांद्रता और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी है। यहां तक कि जो लोग शहरी क्षेत्रों में चले गए हैं, वे भी निम्न स्तर की साक्षरता, खराब कौशल और तकनीकी शिक्षा की कमी के कारण उद्योगों में नौकरी पाने में असमर्थ रहे हैं। हरियाणा में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच गरीबी की घटना तालिका 6 में दी गई है। इस तालिका से पता चलता है कि सभी समूहों और अनुसूचित जातियों में गरीबी की घटना 36.0 थी और 1993–94 में क्रमशः 58.8 प्रतिशत जबकि 2009–10 में यह घटकर 19.9 और 37.8 प्रतिशत और 2011–12 में क्रमशः 11.2 और 24.1 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2009–10 को छोड़कर सभी समूहों के लिए शहरी परिवारों की तुलना में ग्रामीण परिवारों में गरीबी की घटना अधिक थी। वर्ष 2004–05 तक ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों में गरीबी की घटनाएँ अधिक थीं, उसके बाद यह प्रवृत्ति उलट गई और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लिए गरीबी की घटना ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो गई।

0तालिका 6: हरियाणा में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच गरीबी की सीमा (1993–1994से 2011–12) (प्रतिशत में)

वर्षों	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		संपूर्ण	
	सभी समूह	अनुसूचित जाति	सभी समूह	अनुसूचित जाति	सभी समूह	अनुसूचित जाति
1993.94	40.2	62.7	24.2	41.8	36.0	58.8
2004.05	24.8	47.5	22.4	46.9	24.2	47.4
2009.10	18.6	33.6	23.0	48.3	19.9	37.8
2011.12	11.6	23.6	10.3	25.9	11.2	24.1

अरविंद पनगढ़िया, भारत में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समूहों द्वारा गरीबी और इसके सबसे बड़े राज्य 1993–94 से 2011–12, वर्किंग पेपर नं। 2013–02

तालिका आगे दर्शाती है कि समय के साथ अनुसूचित जातियों में गरीबी का अनुपात अधिक था। इसलिए, गरीबी के मामले में अनुसूचित जातियां सभी समूहों में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। वे गरीबी के इस दुष्चक्र को तोड़ने में असमर्थ रहे हैं। गरीबी उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ–साथ व्यक्तित्व विकास को भी प्रभावित करती है। यह उनकी आय को और प्रभावित करता है क्योंकि कौशल की कमी के कारण, वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का वेतन रोजगार

प्रदान करने के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हरियाणा में 1.4.2015 से लागू की गई थी। 1 अप्रैल 2008। एक तिहाई नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। न्यूनतम मजदूरी रु. योजना के तहत लगे श्रमिकों को दिनांक 1.4.2015 से प्रति व्यक्ति 251 प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2015, जो देश में सबसे ज्यादा था। इस कार्यक्रम को अन्य संबंधित विभागों जैसे वन, कृषि, सिंचाई, स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल, विकास एवं पंचायत, मत्स्य पालन, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, विपणन बोर्ड एवं लोक निर्माण विभाग आदि की योजनाओं के साथ जोड़ा गया ताकि देश में सार्थक संपत्तियों का सृजन सुनिश्चित किया जा सके। गांव (हरियाणा सरकार, 2016)?

तालिकारू 7: हरियाणा में मनरेगा में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी

वित्तीय वर्ष	2012.13	2013.14	2014.15	2015.16
कुल व्यक्ति दिवस (लाख में)	128.87	117.88	61.65	48.48
अनुसूचित जाति व्यक्ति–दिनः कुल व्यक्ति–दिनों के रूप में	50.71	48.48	43.8	49.66
प्रति परिवार रोजगार के औसत दिन	43.81	36.28	28.29	28.73
अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए औसत व्यक्ति दिवस	42.29	36.64	26.73	26.47
अनुसूचित जाति काः काम करता है	53.08	48.95	46.6	52.62

स्रोत: www-mgnrega-nic-in

तालिका 7 2012–13 से 2015–2016 के दौरान हरियाणा में मनरेगा के तहत विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए सृजित कुल व्यक्ति–दिवसों से संबंधित है। इस तालिका से पता चलता है कि 2012–13 में वित्त वर्ष 2012–13 में कुल श्रम दिवस 128.87 लाख था जो 2013–14 में घटकर 117.88 लाख हो गया। 2014–15 और 2015–16 में, उत्पन्न व्यक्ति–दिवस क्रमशः 61.65 लाख और 48.48 लाख तक कम हो गए। 2012–13 में अनुसूचित जातियों को उत्पन्न व्यक्ति–दिवसों का प्रतिशत कुल व्यक्ति–दिवसों में 50.71 प्रतिशत था, लेकिन 2014–15 में यह घटकर 43.8 प्रतिशत और 2015–16 में बढ़कर 49.66 प्रतिशत हो गया। 2012–13 में, प्रति परिवार प्रदान किए गए रोज़गार के औसत दिन 43.81 थे, लेकिन 2013–14 में यह घटकर 36.28 हो गया और 2015–16 में और कम होकर 28.76 हो गया। मनरेगा में अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए उत्पन्न औसत व्यक्ति–दिवस 2012–13 में 42.49 अनुमानित थे और घटकर 26.73 और 2014–15 में और 2015–16 में 26.46 हो गए। मनरेगा में काम करने वाली अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 2012–13 में 53.08 अनुमानित था और 2014–15 में यह घटकर 46.6 प्रतिशत हो गया लेकिन 2015–16 में यह बढ़कर 52.62 हो गया। हाल के दिनों में, विभिन्न कारणों से मुख्य रूप से मजदूरी के भुगतान में देरी के कारण उत्पन्न समग्र व्यक्ति–दिवस में कमी आई है। मनरेगा का प्रदर्शन इसके कार्यान्वयन और लोगों द्वारा मांगे गए रोजगार पर निर्भर करता है। हरियाणा में खराब कार्यान्वयन और मजदूरी के भुगतान में देरी के कारण मनरेगा में अनुसूचित जाति की भागीदारी में कमी आई है। मनरेगा के तहत मजदूरी का विलंबित भुगतान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बहस का विषय है। क्योंकि

अधिकांश अनुसूचित जातियां कैजुअल वर्कर हैं और उनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। इसलिए, वे अन्य कार्यों में जा रहे हैं जहां उन्हें तुरंत भुगतान किया जा रहा है।

निष्कर्ष और नीति सिफारिशें

राज्य के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत हिस्सा हरियाणा में समय अवधि के दौरान लगातार बढ़ा है। राज्य की लगभग पांचवीं आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की है, लेकिन इन हाशिए के लोगों का जीवन स्तर विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारणों से निम्न है। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात हरियाणा के समग्र लिंगानुपात से अधिक है। यह एक सामान्य तथ्य है कि अनुसूचित जातियों में कम साक्षरता होने के बावजूद अनुसूचित जाति का लिंगानुपात हरियाणा के समग्र लिंगानुपात से हमेशा बेहतर होता है क्योंकि इन परिवारों में बच्चों को आय का स्रोत माना जाता है। वे अपने निम्न स्तर की शिक्षा के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रमों और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी कम जागरूक हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत हिस्सा कुल जनसंख्या क्षेत्रों की तुलना में कम है, जैसे कि साक्षरता दर का निम्न स्तर, उपयुक्त रोजगार के अवसरों की कमी, पारिवारिक बंधन आदि। वे मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में उनकी भागीदारी के लिए। अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर 1971 में 12.60 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 66.85 प्रतिशत हो गई है। लेकिन फिर भी, लगभग 33 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ इस बुनियादी और आवश्यक आवश्यकता से वंचित हैं। दूसरी ओर, राज्य की समग्र साक्षरता दर 1971 में 26.89 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 75.55 प्रतिशत हो गई है। पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर भी पुरुष प्रधान समाज और रूढ़िवादी मानसिकता के कारण एक महत्वपूर्ण अंतर दर्शाती है। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति और पुरुष और महिला के बीच एक बड़ा अंतर है। यह मुख्य रूप से निम्न स्तर के जीवन स्तर, आय और इन गरीब परिवारों के लिए शैक्षिक अवसरों की कमी के कारण है। हरियाणा में कुल बेरोजगारी दर 6.3 प्रतिशत थी जबकि 2011–12 में अनुसूचित जातियों के लिए यह 7.7 प्रतिशत थी।

अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में अनुसूचित जातियों की बेरोजगारी दर अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की उच्च सांद्रता और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी अनुसूचित जातियों में उच्च बेरोजगारी दर के पीछे कारक हैं। यहां तक कि जो लोग शहरी क्षेत्रों में चले गए हैं, वे साक्षरता के निम्न स्तर, खराब कौशल और तकनीकी शिक्षा की कमी के कारण उद्योगों में नौकरी पाने में असमर्थ रहे हैं। गरीबी के मामले में, वर्ष 2004–05 तक ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बीच गरीबी की घटना अधिक थी, उसके बाद यह प्रवृत्ति उलट गई और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लिए गरीबी की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो गईं। अध्ययन से पता चलता है कि हरियाणा में समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जातियों में गरीबी अधिक रही है। वे गरीबी के इस दुष्चक्र को तोड़ने में असमर्थ रहे हैं। गरीबी उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ–साथ व्यक्तित्व विकास को भी प्रभावित करती है। यह उनकी आय को और प्रभावित करता है क्योंकि कौशल की कमी के कारण उन्हें लाभकारी रोजगार नहीं मिल पाता है। मनरेगा का प्रदर्शन इसके कार्यान्वयन और लोगों द्वारा मांगे गए रोजगार पर निर्भर करता है। हरियाणा में खराब कार्यान्वयन और मजदूरी के भुगतान में देरी के कारण मनरेगा में अनुसूचित जाति की भागीदारी में कमी आई है। मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान में देरी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बहस का विषय है। क्योंकि अधिकांश अनुसूचित जातियां कैजुअल वर्कर हैं और उनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। इसलिए, वे अन्य कार्यों में जा रहे हैं जहां उन्हें तुरंत भुगतान किया जा रहा है।वर्तमान अध्ययन के परिणाम के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं:

अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि हरियाणा में गैर–अनुसूचित जातियों की तुलना में अनुसूचित जातियों में

निरक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है, क्योंकि आय का निम्न स्तर, आय के अनियमित स्रोत, माता–पिता की अज्ञानता, सामाजिक वातावरण आदि। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की लगभग 33 प्रतिशत आबादी निरक्षर है। इसलिए हरियाणा में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर में सुधार के लिए सरकार द्वारा उचित उपाय किए जाने चाहिए।

अध्ययन से आगे पता चलता है कि हरियाणा में समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जातियों में गरीबी अधिक है। वे गरीबी के इस दुष्चक्र को तोड़ने में असमर्थ रहे हैं। गरीबी उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ–साथ व्यक्तित्व विकास को भी प्रभावित करती है। यह उनकी आय को और प्रभावित करता है क्योंकि कौशल की कमी के कारण उन्हें लाभकारी रोजगार नहीं मिल पाता है। इस प्रकार, गरीबी विरोधी कार्यक्रम मुख्य रूप से मनरेगा को सामान्य रूप से लाभकारी रोजगार पैदा करने के लिए ठीक से लागू किया जाना चाहिए और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना विशेष रूप से सच्ची भावना के साथ लागू की जानी चाहिए।

मनरेगा के मामले में हाल के दिनों में अनुसूचित जातियों की भागीदारी घट रही है। वेतन का विलंबित भुगतान घटते व्यक्ति दिवसों के पीछे मुख्य कारक है। मजदूरी के भुगतान में देरी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बहस का विषय है। संकटग्रस्त श्रमिक अन्य नौकरियों की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि अधिकांश अनुसूचित जाति आकस्मिक श्रमिक हैं और उनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वास्तविक श्रमिकों को सीधे भुगतान स्थानांतरित करने के लिए एक अच्छी पहल है, लेकिन केवल स्थानांतरण महत्वपूर्ण नहीं है, यह मजदूरी का समय पर हस्तांतरण है जो वर्तमान परिदृश्य में बहुत आवश्यक है।

अनुसूचित जातियों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को उनकी सच्ची भावना से उत्साह के साथ लागू करने की आवश्यकता है। योजना आवंटन में वृद्धि और अनुसूचित जाति की आबादी के बड़े अनुपात को कवर करने के लिए ग्रामीण विशिष्ट योजनाओं के दायरे को बढ़ाने से हरियाणा में अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में काफी मदद मिल सकती है।

संदर्भ

1. हरियाणा सरकार (2016), आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, पंचकुला, हरियाणा, 130–131।
2. हरियाणा सरकार (2016), हरियाणा में मनरेगा में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी। ूउहदतमहं.दपब. पद/MGNREGA IN HARYANA&files\all&lvl&details&new-htm ls पुनर्प्राप्त, 13@01@2016@04@14-06 dks ,क्सेस किया गया।
3. भारत सरकार (2001), अनंतिम जनसंख्या योग, अध्याय 6, भारत की जनगणना 2001, श्रृंखला 1, भारत, 2001 का पेपर 1, 2.
4. भारत सरकार (2011), भारत की जनगणना, विभिन्न मुद्दे] http:@@censusindia-gov-in@Data&Products@Library@Provisional&Population&Total&link@PDF&Links@chapter6-pdf से प्राप्त, 24/03/2016/ को एक्सेस किया गया 03.15.06।
5. श्रम ब्यूरो (2012), रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011–12, चंडीगढ़ पर रिपोर्ट।
6. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2014), भारत में सामाजिक समूहों के बीच रोजगार और

बेरोजगारी की स्थिति। http:@@mospi-nic-in@ पर उपलब्ध है Mospi&New@upload@nss \&rep&556&14aug14-pdf

7. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2015), भारत में सामाजिक समूहों के बीच रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति। रिपोर्ट संख्या 563 का 68वां दौर, जुलाई 2011–जून 2012, भारत सरकार, नई दिल्ली, 70–345।

8. पनगढ़िया, ए. एंड मोर, वी. (2012), भारत और इसके सबसे बड़े राज्यों में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समूहों द्वारा गरीबी 1993–94 से 2011–12 तक। वर्किंग पेपर नं। 02/2013, एसआईपीए स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स, कोलंबिया विश्वविद्यालय।

9. योजना आयोग (2005), वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06, भारत सरकार, नई दिल्ली।

10. योजना आयोग (2014), वार्षिक रिपोर्ट, 2013–14, भारत सरकार, नई दिल्ली, 42.

11. रंगा, एस.के. (1994) ख्पीएचडी। थीसिस अन–प्रकाशित,।, हरियाणा में अनुसूचित जातियों के बीच उभरते अभिजात वर्ग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक।